बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या–पी0आर0 ..../2018

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2019 में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन/अनुमति से संबंधित बकाया शुल्क जमा करने तथा जारी डमी पंजीयन कार्ड मेें त्रुटि के सुधार हेतु अवधि विस्तार किये जाने से संबंधित आवश्यक सूचना :

एतद् द्वारा समिति की विज्ञप्ति संख्या–पी०आर० 173/2018 के क्रम में माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि आगामी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2019 (सत्र 2018–2019) में सम्मिलित होने हेतु संबंधित विद्यालय प्रधान द्वारा ऑनलाईन माध्यम से भरे गये पंजीयन/अनुमति आवेदन एवं शुल्क के आधार पर छात्र/छात्राओं के **समिति के वेबसाईट www.biharboard.online पर जारी किये गए डमी पंजीयन/अनुमति कार्ड में नाम, पिता/माता के नाम का स्पेलिंग, जन्म तिथि, जाति, कोटि, लिंग, फोटो, विषय आदि की त्रुटि के सुधार हेतु दिनांक 20.08.2018 तक विद्यालय प्रधान को हस्तगत् कराने तथा विद्यालय प्रधान द्वारा दिनांक 22.08.2018 तक ऑनलाईन त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान किया गया था। परन्तु अभी भी कतिपय विद्यालय प्रधान के द्वारा उनके छात्र/छात्राओं के डमी पंजीयन/अनुमति कार्ड में त्रुटि का निराकरण नहीं किया जा सका है।**

2. इसी प्रकार समिति की विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 163/2018 के माध्यम से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2019 में सम्मिलित होने हेतु छुटे हुए छात्र/छात्रा के विलम्ब शुल्क के साथ पंजीयन/अनुमति आवेदन एवं शुल्क जमा करने हेतु दिनांक 09.08.2018 तक तिथि विस्तारित की गई थी। **यदि किसी कारणवश उक्त विस्तारित तिथि तक किसी छात्र/छात्रा का पंजीयन शुल्क जमा नहीं हो पाया हो तो केवल बकाया पंजीयन शुल्क जमा करने हेतु दिनांक 14.08.2018 तक का अवसर प्रदान किया गया था। परन्तु अभी भी कतिपय विद्यालय प्रधान द्वारा संबंधित छात्र/छात्रा का बकाया पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है जबकि उनका डमी पंजीयन/अनुमति कार्ड भी जारी किया गया है।**

3. **उपर्युक्त कंडिका 1 में वर्णित डमी पंजीयन/अनुमति कार्ड में त्रुटि सुधार करने तथा कंडिका 2 में वर्णित जमा किये गये पंजीयन/अनुमति आवेदनों का बकाया शुल्क जमा करने हेतु दिनांक 06.09.2018 से 10.09.2018 तक पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।**

4. उक्त अवसर प्रदान करने के बाद भी यदि किसी विद्यालय प्रधान द्वारा डमी पंजीयन/अनुमति कार्ड में ऑनलाईन त्रुटि का निराकरण नहीं किया जाता है अथवा बकाया पंजीयन/शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो वैसी स्थिति में आगे पंजीयन की त्रुटि का सुधार नहीं हो सकेगा और न ही पंजीयन शुल्क जमा स्वीकार किया जाएगा। इसके कारण यदि किसी छात्र/छात्रा का अन्तिम पंजीयन कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विद्यालय प्रधान की होगी।

कृपया उक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय क्योंकि जारी किये गए पंजीयन कार्ड में अंकित विवरण के आधार पर ही परीक्षा आवेदन भरे जायेंगे और परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा।

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।